न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 17 / 2023

1 प्यारेलाल पुत्र घीसाराम
2 मोहित पुत्र प्यारेलाल
3 रेवती पत्नी प्यारेलाल जातिगण अहीर निवासीगण झांझा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 विजयपाल पुत्र घीसाराम जाति अहीर निवासी झांझा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
2 सुबोधकुमार पुत्र प्यारेलाल जाति अहीर निवासी झांझा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील अ.धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखिलाफ आदेश दिनांक 02.12.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना मु.नं. 446 / 2022 जीसीएमएस नम्बर 763 / 2022 उनवानी विजयपाल बनाम प्यारेलाल आदि प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री धीरज कुमार बोयल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 10.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 446/2022 में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके ग्राम झांझा तहसील बुहाना में जमीन हाल खसरा नम्बर 332 रकबा 0.23 हैक्टेयर में स्थित है। रेस्पोडेंट नम्बर 1 विजयपाल ने उक्त जमीन के बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र पेश किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसमें दिनांक 02.12.2022 को उक्त जमीन पर विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम झांझा स्थित भूमि खसरा नम्बर 332 रकबा 0.023 हैक्टेयर भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्यवाही नहीं करे प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट प्यारेलाल पुत्र घीसाराम जाति अहीर ने 30.04.1999 को इकरारनामा के जरिये लगभग 22 साल पहले खरीदी थी उक्त भूमि पर अपीलान्ट प्यारेलाल पुत्र घीसाराम निर्माण बनाकर काबिज है। खसरा नम्बर 332 रकबा 0.023 हैक्टेयर में अपीलान्ट प्यारेलाल पुत्र घीसाराम का 1/24 हिस्सा है जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 विजयपाल ने अस्थाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निषेधाज्ञा में अपीलान्ट प्यारेलाल की पत्नी व पुत्रों को भी पक्षकार बनाया है जबकि अपीलान्ट की पत्नी व पुत्रों का कही भी राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं है इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट प्यारेलाल मकानात बनाकर काबिज है तथा पत्थर ईंट डाल रखी है जबकि फर्दमौका रिपोर्ट दिनांक 02.07.2021 के अनुसार खसरा नम्बर 332 के दक्षिणी हिस्से पर अपीलान्ट नम्बर 1 प्यारेलाल का कब्जा व निर्माण होना दर्शित है इससे स्पष्ट दर्शित हो रहा है कि रे. नम्बर 1 विजयपाल का उक्त भूमि पर ना ही कोई हिस्सा है तथा ना ही कोई कब्जा है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 02.07.2021 के अनुसार उक्त भूमि पर अपीलान्ट का ही कब्जा है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 विजयपाल का ना ही प्रथम दृष्टया मामला है तथा ना ही सुविधा का संतुलन रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 विजयपाल के पक्ष में है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.11.2022 में अप्रार्थी संख्या 2 से 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया था अंकन है तथा इन 2, 3 के खिलाफ क्या कार्यवाही की इस बाबत कोई भी अंकन पत्रावली पर नहीं है इसलिये बावजुद भी विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है इस कारण आलौच्य निर्णय प्राथमिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से अपास्त होन योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 नेवी में नौकरी करता है वर्तमान में वह ड्यूटी पर है इसलिये अपील पेश नही कर सकता है इसलिये सुबोध कुमार को रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 बनाया गया है। अपीलान्ट नम्बर 2, 3 व रेस्पोडेंट नम्बर 2 के नाम उक्त जमीन राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज नहीं है इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड को बिना देखे ही आदेश पारित किया है जो विचाराधीन निर्णय तक एंव निष्कर्ष सहित नहीं होने से खारिज होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनू)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट अप्रार्थी संख्या 1,3,4 के रूप में पक्षकार है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट प्यारेलाल की जरिये वकील उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। विचारण न्यायालय में पक्षकारों के मध्य विभाजन का वाद लंबित है। विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। विवादित भूमि का पूर्व में विभाजन होना साक्ष्य से साबित नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर